HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5181/2017

Sanjay Kumar Agrawal S/o Shri Nemi Chandra Agrawal, R/o Kalsada, Police Station Bayana, Distt. Bharatpur

----Claimant/Appellant

Versus

1. The New India Assurance Co. Ltd., Registered Office-The New India Assurance Building, 87, Mahatma Gandhi Marg, Fort, Mumbai Through The New India Assurance Co. Ltd., Branch Nai Mandi, Bharatpur (Insurance Company)
2. Sandeep Joshi S/o Kailash Joshi, 60, Gulab Niwas, Chopasani Road, Jodhpur (Owner)
3. Babulal S/o Madanlal Sharma, R/o Surajpole Makhepura, Kota Raj. (Driver)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. S.P. Poshwala, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Ganesh Joshi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

07/05/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय **मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (ए0डी0जे0 सं01) बयाना, जिला भरतपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–129/2007, संजय कुमार बनाम न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड व अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 18.05.2017** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. मामले में विद्वान अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2009 के द्वारा अपीलार्थी को 1,20,410/– रूपये की अवार्ड राशि पारित की गई थी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दीवानी विविध अपील संख्या–190/2010 संस्थित की गई। इस

न्यायालय द्वारा उक्त अपील का दिनांक 23.08.2016 को निस्तारण करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट दिनांक 16.07.2009 को विवाद्यक संख्या 2 व 4 के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों में दिये गये मार्गदर्शन के प्रकाश में व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली उक्त विवाद्यक संख्या 2 व 4 पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु विद्वान अधिकरण को रिमाण्ड की गई थी। तत्पश्चात विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 18.05.2017 को विवाद्यक संख्या 2 व 4 की हद तक पुनः निर्णय पारित कर अपीलार्थी को 2,87,810/– रूपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 4,000/– रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी एम0बी0ए0 डिग्रीधारी था। दुर्घटना में अपीलार्थी के सिर व आंखों पर गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 30 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–157 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.07.2003 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 22 वर्ष की आयु का एम0बी0ए0 डिग्रीधारी होना बताया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 4,000/– रुपये निर्धारित की गई है। जबकि वक्त घटना अपीलार्थी को एम0बी0ए0 डिग्रीधारी होना बताया गया है, जो कि प्रोफेशनल डिग्री है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय अपीलार्थी की मासिक आय 5,000/– रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 22 वर्ष की आयु का छात्र होना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 5,000/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत** (2,000/– रुपये) की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल **शुद्ध मासिक आय 7,000/– रुपये** होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के सिर व आंखों में गंभीर चोटें कारित हुई हैं। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की 30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर आय की क्षति भी 30 प्रतिशत ही मानी है। अतः अपीलार्थी को 30 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम भी अपीलार्थी को आय की क्षति 30 प्रतिशत होना पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 7,000/– रुपये का 30 प्रतिशत 2,100/– रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 22 वर्ष का होना बताया गया है, किंतु दस्तावेज के अभाव में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी

को 31 से 35 वर्ष की आयु के मध्य होना माना है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी के आधार कार्ड व सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति में उसकी जन्मतिथि 27.07.1973 अंकित है तथा घटना दिनांक 04.07.2003 की है। इस प्रकार वक्त घटना अपीलार्थी 29 वर्ष 11 माह 8 दिवस की आयु का था। अतः वक्त घटना अपीलार्थी को 26 से 30 वर्ष के मध्य की आयु वर्ग का निर्धारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी. सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **17 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **2,100 x 12 x 17 = 4,28,400/– रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को मेडिकल बिलों की मद में 26,680/– रुपये, धर्मशाला में ठहरने की मद में 1,470/– रुपये, परिचारक/सहायक की मद में 4,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को परिवहन व यातायात पर व्यय हुई राशि की मद में 4,260/– रुपये की राशि दिलवाई गई है, जबकि अपीलार्थी बयाना, भरतपुर का रहने वाला है तथा दुर्घटना के उपरांत उसका इलाज जयपुर में चला है। अतः उक्त मद में हम अपीलार्थी को 15,000/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 15,000/– रूपये तथा पौष्टिक आहार की मद में 6,000/– रूपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिनमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक

पीड़ा की मद में 30,000/– रूपय तथा पौष्टिक आहार की मद में 15,000/– रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः उक्त मद में हम अपीलार्थी को 30,000/– रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब 3 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम 3 माह की आय की हानि के मद में 5,000 X 3 = 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	4,28,400/– रुपये
2.	मेडिकल बिलों की मद में	26,680/– रुपये
3.	धर्मशाला में ठहरने की मद में	1,470/– रुपये
4.	परिचारक/सहायक की मद में	4,000/– रुपये
5.	परिवहन व्यय की मद में	15,000/– रूपये
6.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	30,000/– रुपये
7.	पौष्टिक आहार की मद में	15,000/– रूपये
8..	भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी के मद में	30,000/– रूपये
9.	3 माह की आय की हानि की मद में	15,000/– रुपये
10.	**इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि**	**5,65,550/– रुपये**
11.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	2,12,200/– रुपये
12.	**बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर**	**3,53,350/– रुपये**

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **2,12,200/– रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान

पर **5,65,550/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

17. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

18. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

19. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

KESHAV VERMA /16